29/11/24

FORM NO III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत पाटन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा – धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957 ।

नंबर **260 / 2024**

ऑन लाईन नंबर **2024 / .....**

वकील प्रार्थीः– तहसीलदार किशनगढ वकील अप्रार्थी ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.11.2024	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 131,132 भू राज अधिनियम 1956 तथा नियम 58,59,60,66,86 राज भू अभिलेख नियमावली 1957 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बड़गावं पटवारी हल्का बड़गांव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 122 कुल रकबा 11.0671 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 0.2742 हैक्ट. व खसरा संख्या 264 कुल रकबा 18.2591 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 0.4022 हैक्ट व खसरा संख्या 263 कुल रकबा 8.5511 हैक्ट. किस्म चरागाह मे से 0.2376 हैक्ट रकबा में मौके पर ग्राम बडगांव से बालाजी मन्दिर होते हुए सुरतपुरा की और जाने का रास्ता बना होने से उक्त रकबा को रास्ते हेतु अधिगृहित कर उक्त भूमि में रास्ता कायम करने व रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया गया। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन एंव अध्ययन किया गया ग्राम पटवारी हल्का नलू भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ स्थित भूमि खसरा संख्या 122,264 एवं 263 की किस्म चरागाह है कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है तथा चरागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रतिबन्धित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:19:54 IST
Reason: SelfAttested